राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 55 (   )अभि./सीई/डीएलबी/19/सडक मरमम्त/81483-676 दिनांक : 30/08/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय :– वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में नालों/सड़को/गलियों की सफाई एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानसून की बारिश के दौरान कतिपय जिलों के शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि से शहर के निचले इलाकों (Low Laying Area) व नालों में मलबा भर जाने से पानी सड़को व गलियों में आ गया है अथवा सड़क पर मिट्‌टी भर जाने से कींचड़ व गंदगी हो गयी है। साथ ही शहरों में अतिवृष्टि/पानी की रूकावट से सड़कें व नालियॉ क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

इस सम्बन्ध में लेख है कि शहरी क्षेत्रों में नालों में भंरे हुये कचरे/मलबे एवं सड़क पर मिट्‌टी भर जाने से कींचड़ व गंदगी को अतिशीघ्र हटाये जाने की आवश्यकता है, ताकि शहर में मौसमी बीमारियॉ नहीं फैल पाये। साथ ही अतिवृष्टि/पानी की रूकावट से क्षतिग्रस्त सड़कों की अविलम्ब मरम्मत करना आवश्यक है, जिससे आमजन को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो एवं किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हो पाये।

अतः इस सम्बन्ध में अतिवृष्टि से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के निचले इलाकों व नालों में भरे हुये कचरे/मलबे एवं सड़कों पर से कींचड़ व गंदगी को हटाने एवं वर्षा/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों की मरम्मत करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (Low Laying Area) व नालों में जमा कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।
2. आबादी क्षेत्र में एकत्रित कचरे/मलबे को अविलम्ब हटाया जावे। नालियों/गलियों में तथा इकट्‌ठे गंदे पानी में कीटनाशक/लार्वा नाशक दवाईयों का छिड़काव करवाया जावे। संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिये मृत जानवरों का समुचित निपटान किया जावे।
3. अतिवृष्टि/पानी की रूकावट से क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलम्ब मरम्मत करने की नितान्त आवश्यकता है। बरसात से क्षतिग्रस्त सड़क/गड्‌डों (Pothole) को WBM/Quarry Rubbish, Cold Bitumin, Morrum आदि से भरवाने का कार्य अतिशीघ्र करवाया जावे, ताकि सड़क पर यातायात सुगम (Motorable) हो सके।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार की नगर निकायों से सड़क मरम्मत/सुधार हेतु सूचनायें इकजाई कर निदेशालय को तीन दिवस में ई–मेल dlbrajasthan@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सड़क मरम्मत व सुधार के कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता से जिम्मेदारी के साथ अविलम्ब सम्पादित करावें।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/19/सडक मरम्मत/81677-82042 दिनांक : 30/08/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, जिला प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त), जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/सम्भागीय अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (समस्त)।
12. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद (समस्त), समस्त राजस्थान।
13. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने।
14. सुरक्षित पत्रावली।

30/8/19
मुख्य अभियन्ता